न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19/2019(2019/00156)

1 रामकिशन पुत्र लादू जाति कुमावत निवासी वगै0 नयागॉव तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. भंवरलाल पुत्र रामलाल कुमावत
3. कालूराम पुत्र रामलाल कुमावत
4. हरलाल पुत्र लादू कुमावत

—प्रार्थीयां

बनाम

1 काना पुत्र नारायण जाति कुमावत वगै0 निवासी नयागॉव तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर SDO केकड़ी

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः— 1. श्री नवल किशोर पारीक वकील— प्रार्थी
2. तहसीलदार केकड़ी —पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 26.02.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम नयागॉव की जमाबंदी संवत् 2072—75 तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे निम्नवर्णित आराजीयात स्थित है:—

खेवट खतौनी		खसरा नंबर	रकबा	किस्म
नई	पुरानी			
226	217	529	0.2300	चाही 1
18	19	531	0.0200	गै.मु.चाह
		532	0.0400	गै.मु.चाह

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजीयात है। जो राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। आराजीयात पर आने जाने हेतु राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस व जमाबदी मे कोई रास्ता दर्ज नही है। किन्तु मौके पर स्थित खसरा संख्या 512 रकबा 0.06 खसरा नंबर 533 रकबा 0.026 तथा खसरा नंबर 534 रकबा रकबा 0.04 है0 मे रास्ता उपलब्ध है,जिसमे से खसरा नंबर 512 रकबा 0.06है सरकारी सिवायचक भूमि मे मौके पर रास्ता मौजूद है। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिली अनुपस्थिति रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार केकड़ी से रिपोर्ट माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे मंगवाई गई।

तहसीलदार केकड़ी पैरोकार सरकार द्वारा मौका जॉच रिपोर्ट राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे प्रस्तुत की गई है तथा मौका जॉच रिपोर्ट प्रपत्र पर पक्षकारान के हस्ताक्षर है अप्रार्थी संख्या 1 काना के भी मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर है। तहसीलदार केकड़ी ने उनके पत्र कमांक/भू.अ./2020/288 दिनांक 11.01.2021 से जवाब व मौका पर्चा निर्धारित प्रपत्र मे प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार ग्राम नयागॉव की जमाबंदी संवत् 2072—75 के खसरा नंबर 366 मे स्वीकृत रास्ता है जिसके पश्चात प्रार्थी खसरा नंबर 534 एवं 533 मे से आवागमन कर रहा है। प्रार्थी के खेत से नि[illegible] पर स्वीकृत रास्ता खसरा नंबर 366 है। खसरा नंबर 534 मे से 300 वर्गमीटर एवं खसरा 533 मे से 300 वर्गमीटर कुल 600 वर्गमीटर भूमि मे से रास्ता दिया जा सकता है। प्रि[illegible] द्वारा जमीन के बदले जमीन की मांग की गई है। तथा प्रतिकर राशि 32496/— रूपये प्रतिकर के रूप मे प्रतिवादी को दिया जाने बाबत् रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:18:12 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात वाकै ग्राम नयागॉव जमाबंदी संवत् 2072—75 केखाता संख्या 226—217 के खसरा संख्या 529 रकबा 0.2300 हैक्टयर तथा खाता संख्या 18—19 खसरा नंबर 531

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला—अजमेर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रकरण संख्या 19/19(2019/00156)
रामकिशन वगै.बनाम काना वगै0
अंतर्गत धारा 251 क आरटीए
निर्णय दिनांक 26.02.2021

रकबा 0.0200 गै0मु0 चाह ,532 रकबा 0.0400 गै0मु0 चाह किता 2 रकबा 0.0600 बीघा खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। खसरा नंबर 512 रकबा 0.06 बीघा व खसरा नंबर 533 रकबा 0.26 बीघा तथा खसरा नंबर 534 रकबा 0.04 हैक्टर मे से आने जाने हेतु रास्ता दिलवाया जावे।

मैने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वाकै ग्राम नयागॉव की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 226–217 के खसरा संख्या 529 रकबा 0.2300 हैक्टयर तथा खाता संख्या 18–19 खसरा नंबर 531 रकबा 0.0200 गै0मु0 चाह ,532 रकबा 0.0400 गै0मु0 चाह किता 2 रकबा 0.0600 बीघा खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। इस आराजीयात मे आने जाने हेतु खसरा नंबर 533 की पश्चिमी मेड़ मे से 5 मीटर चौड़ाई व 60 मीटर लंबाई व 534 की पूर्वी मेड़ के लगवा 5 मीटर चौड़ा 60 मीटर कुल 600 वर्गमीटर गै0 मु0 रास्ता प्रार्थी के चाहे अनुसार गैर मुमकिन रास्ता के रूप मे दर्ज किया जावे तथा नक्शा ट्रेस मे तरमीम किया जावे। प्रतिकर राशि का भुगतान प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण को दिया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला–अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:18:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner